

कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सौ-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, पुरभाष /फोन +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

टेल: प्रश्ना-डी-टीन-0605/ 3537

दिनांक: 1-1-19

में

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार।

विषय: Diversion of 0.432 ha. of forest land for laying of OFC by M/s. Reliance Jio Infocomm Ltd. from Village Mandholi tower to Village Obra via Village Gopalwas, under forest division and District Bhiwani, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Others/34825/2018

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 29-11-2018।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भानुसार पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत अनुमति मांगी गई है।

2. संशोधन दस्ता जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2010/ 8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्थान पर इस प्रस्ताव का स्वानुरूपक अध्ययन करने के पश्चात विषयानुसार उपर्योग के लिए सदाम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपलब्ध स्थीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. इस कस में कोई बूढ़ा नहीं बाटा जाएगा।
3. प्रयोगता एजेन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण कथा वैधानिक प्रकार के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी।
4. वह अप्रैल 2020 वन भूमि के सभी बाहरी किनार के साथ विछाइ जाएगी और खाड़ी गई जमीन ब्रेकिंग एजेन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी।
5. प्रयोगता एजेन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की गरिमा दी जाएगी।
6. प्रयोगता एजेन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कारणों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी का अनुमति प्राप्त करेगी।
7. वन भूमि का उपर्योग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं उपयोग किया जाएगा।
8. यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा।
9. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव तो अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है।
10. ट्रॉफ (trench) की बोलाइ एक गीटर से आधिक व महराई दो नीटर से आधिक नहीं होनी चाहिए।
11. यह स्वीकृति राज्यालय उद्यान व बन्ध प्राणी विहान क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
12. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।

W.L.

स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र०००३०५० व के सा)
कृपा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।

1. आपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केरलीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड देशीय वर्गालय, वेज न० 24-25, सैक्टर-31-ए, चंडीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, भिवानी।
3. M/s Reliance Jio Infocomm Ltd., Mohali।

15/11/2018
15/11/2018 (संकेतिकरण) 3064
विषयालय, 15/11/19
विषयालय (विषयालय को प्राप्ति की जाएगी) 15/11/19
विषयालय (विषयालय को प्राप्ति की जाएगी) 15/11/19

